

फर्द अहकाम

नियम 20

उच्च न्यायालय उपाध्यक्ष अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

प्रभात कुमार बनाम राजस्थान सरकार आदि

क्रिम मुकदमा 88 आरटीएक्ट नं० 160/13.07.22 सन 2022

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नियम 20 के अंतर्गत हुगम या कार्यवाही का तरीका
13-07-22	आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर से। प्रतिवादीगण को जरिये सामन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.08.2022 को पेश हो।	
17/8/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 23/9/22 को पेश हो।	
23/9/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 31/10/22 को पेश हो।	
2/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी...	
11/12/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी...	
11/12/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी...	
15/03/23	पत्रावली पेश हुई बार सघ का कार्य स्थगित है। नियमानुसार पत्रावली दिनांक 11/05/23 को पेश हो।	
11/05/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 11/05/23 को पेश हो।	
11/07/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्तु तालवी प्रतिवादीगण दिनांक 29/08/23 को पेश हो।	



१२/१/२५
 पत्रावली के तहत फर्द सीकरोमीन
 अधिकांश ३/११/२५ में जपू व
 दिनांक १३/११/२५ को पेश हो।
 [Signature]

१३/११/२५
 वकील बादी/प्रतिवकी/पार्थी/अपार्थी का
 पत्रावली मय आदेशानुसार वारते... [Signature]
 दिनांक ११/११/२५ को पेश हो।
 [Signature]

११/२५ पत्रावली के तहत हुकम वकील बादी अनुपस्थित
 भावाल लगाई गई। भावाल लगाने पर वकील
 बादी एवं बादी स्वयं कोर्ट की बाजीदारी
 आपा। अतः पत्रावली अदालत बादी अदालत पेश
 में खातील की जाती है। पत्रावली नम्बर ६
 अतः नर बाजील अदालत को [Signature]